संख्या 09 /08–XIX–2/111 खाद्य/02 टीसी

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1)आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(3)संभागीय खाद्य नियंत्रक
गढ़वाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

(4) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक08जनवरी, 2007

विषयः–लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0 योजना में जनवरी एवं फरवरी, 2007 हेतु तदर्थ अतिरिक्त गेहूँ का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1/1/2006–बीपी–III (पीटी II) दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य की ए0पी0एल0 योजना में माह जनवरी एवं फरवरी 2007 हेतु प्रतिमाह 5000 मी0 टन गेहूँ का पुनः तदर्थ अतिरिक्त आवंटन किया गया है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त आवंटन के अनुरूप ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत गेहूँ का जनपदवार ब्रेक–अप संलग्न किया जा रहा है। कृपया संलग्न ब्रेक–अप के अनुसार ही जनपदों को गेहूँ का आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें ।

2. ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 11.50 किलो0 गेहूँ प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

3. संभागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल संभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन–जिन जनपदों में ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत गेहूँ की माँग हो, उन जनपदों को अन्य जनपद जहाँ उक्त योजना के अन्तर्गत गेहूँ की माँग नहीं हो रही है, अथवा न्यून हो, से जनपदों की माँग की आवश्यकतानुसार कटौती करते हुए अपने स्तर से गेहूँ का आवंटन किया जायेगा।

4. जनपदों को आवंटित किये जा रहे इस गेहूँ को उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदों से की जा रही मांग एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। आवंटित खाद्यान्न का लीकेज एवं डाइवर्जन किसी भी परिस्थिति में नहीं होने पाये इस हेतु कड़ी चौकसी व सजगता बरती जाये, ताकि विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध यह खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थियों को उपलब्ध हो जाये।

5. उपर्युक्त गेहूँ का उठान भारत सरकार के संलग्न पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि क्रमशः माह जनवरी एवं फरवरी , 2007 के मासिक आवंटन तिथि के सापेक्ष ही सुनिश्चित किया जायेगा।

6. भारत सरकार द्वारा टीपीडीएस के अन्तर्गत ए0पी0एल0 योजना में इससे पूर्व विशेष परिस्थितियों में तदर्थ रूप से आवंटित गेहूँ के कम में शासनादेश संख्या 354/XIX-2/06-111-खाद्य/02 दिनांक 12.9.2006, सं0 112 भा0स0/XIX-2/06-111-खाद्य/02 दिनांक 11.10.2006, सं0 125 भा0स0/XIX-2/06-111-खाद्य/02 दिनांक 8.11.2006 एवं सं0 557/06-XIX-2/111-खाद्य/02 दिनांक 8.12.2006 के सम्बन्ध में उक्त गेहूँ के उठान एवं वितरण की भौतिक सत्यापन सहित वस्तुस्थिति भी तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाये।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण विषयक शासनादेश सं0 272/XIX/2006 दिनांक 20.7.2006 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा इस हेतु निर्धारित प्रारूप पत्रों पर गेहूँ की प्राप्ति उठान तथा वितरण की सूचना समयान्तर्गत कन्ट्रोल रूम एवं शासन को भी उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नकः- उपर्युक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या 09 (1)/06-XIX-2/111 खाद्य/02 टीसी,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 1/1/2006-बीपी-III (पीटी)III) दिनांक 27 अक्टूबर, 2006, के संदर्भ में ।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, खाद्य, गढ़वाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।
6. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी, के अवलोकनार्थ ।
7. निजी सचिव, खाद्य मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

शासनादेश सं0– 09 /06–XIX–2/111–खाद्य/02 , दिनांक 08 जनवरी, 2007 का संलग्नक

ए0पी0एल0 योजना

(मी0टन में)

गढ़वाल संभाग

क0सं0	जनपद का नाम	गेहूँ का आवंटन
1.	देहरादून	511.142
2.	हरिद्वार	256.720
3.	पौड़ी गढ़वाल	625.066
4.	टिहरी गढ़वाल	487.273
5.	चमोली	358.454
6.	रूद्रप्रयाग	310.958
7.	उत्तरकाशी	315.082
	योगः–	2864.695
कुमायूँ संभाग		
8.	नैनीताल	390.000
9.	बागेश्वर	292.997
10.	पिथौरागढ	392.922
11.	चम्पावत	288.367
12.	ऊधमसिंह नगर	263.340
13.	अल्मोड़ा	507.679
	योगः–	2135.305
	महायोगः–	5000.000

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

संख्या: 1541/XVII(1)-1/06 20(23)/2006

समाज कल्याण अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक: 05 जनवरी, 2007

विषय: अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संचालित सेमीनार/कार्यशाला/सर्वेक्षण शोध/प्रचार प्रसार मद में प्राविधानित धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या मैमो/स0क0/लेखा–बजट/2006–2007 दिनांक 18 नवम्बर 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 30 के 'आयोजनागत पक्ष' के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संचालित सेमीनार/कार्यशाला/सर्वेक्षण शोध/प्रचार प्रसार मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका/बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

3– यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लें कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में, चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

4– मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये।

5– अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार माह फरवरी, 2006 तक समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6– निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक बी0एम0 13 पर सूचना नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः ...2 पर

संख्या– 10 /XXII/2007–2(7)2005

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 10 जनवरी, 2007

विषयः– वाहन क्रय करने हेतु धनराशि आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2095/सू0एवं0लो0स0वि0(क्षे0प्र0)–38/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला सूचना कार्यालय टिहरी गढ़वाल एवं जिला सूचना कार्यालय, अल्मोड़ा के लिये एक–एक Mahindra Bolero/ DI2WD/7STR/5DDR/ BH II, महानहिम श्री राज्यपाल तथा मा0 सूचना मंत्री जी के प्रचार कार्यों के लिये एक–एक Ambassador Classic 1800 ISZ-Petrol (अम्बेसडर कार) तथा विभागीय प्रकाशन कार्यो के निष्पादन हेतु एक Naya CL 550/2WD/BS II/CMVR (महिन्द्रा जीप) क्रय किये जाने हेतु प्रोफार्मा इन्वाइस की लागत के अनुसार निम्न विवरणानुसार रूपये 18,62,224.00 (रूपये अट्ठारह लाख बासठ हजार दो सौ चौबीस मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

लेखाशीर्षक/उपलेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत की जा रही धनराशि	
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2220–सूचना तथा प्रचार 60–अन्य 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	–	7,11,638.00
2220–सूचना तथा प्रचार 60–अन्य 106–क्षेत्र प्रचार 03–अधिष्ठान	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	–	8,11,920.00
2220–सूचना तथा प्रचार 60–अन्य 110–प्रकाशन 03–अधिष्ठान	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	–	3,38,666.00
	योग–	–	18,62,224.00

2–वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा।

3–वाहनों के क्रय का कुल व्यय भार क्रय की छूट में उपयोग हेतु फार्म डी निष्पादित करके किया जायेगा।

संख्या : 47-दो(2)/XXXVI(1)/2006-5-दो(2)/04

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 10 जनवरी, 2007

विषय: मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में मा० मुख्य न्यायमूर्ति कोर्ट ब्लाक (अनावासीय) में बाउन्ड्रीवाल, रेलिंग एवं पोर्च के आंगन में पक्का फर्श व कमरों में लकड़ी की अलमारी बनाने के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3011/UHC/Admin.B/Const./2006, दिनांक 7.11.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में मा० मुख्य न्यायमूर्ति कोर्ट ब्लाक (अनावासीय) में बाउन्ड्रीवाल, रेलिंग एवं पोर्च के आंगन में पक्का फर्श व कमरों में लकड़ी की अलमारी बनाने के कार्य हेतु रु0 10,17,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 10,05,000/ (रुपये दस लाख पांच हजार मात्र) की लागत के आगणन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रुपये 10,05,000/ (रुपये दस लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :

(1) आगणन में अन्तर्निहित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा

संख्या [illegible]/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व विभाग देहरादून : दिनांक : 07 जनवरी, 2007

विषयः मै0 मैग्नीफिको फूड्स प्रा0लि0 को फ्रूट एवं वेजीटेबुल कम्पोजिट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु तहसील गदरपुर के ग्राम पिपलिया में कुल 1.052 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35/सात-रा0भू0अ0/2006 दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 मैग्नीफिको फूड्स प्रा0लि0 को फ्रूट एवं वेजीटेबुल कम्पोजिट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील गदरपुर के ग्राम पिपलिया में कुल 1.052 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टिबन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

संख्या : [illegible] / 18(1) / 2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून : दिनांक : 03 जनवरी, 2007

विषयः फीडर्स लायड कारपोरेशन लिमिटेड को ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेन्ट हेतु तहसील हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद–।। में कुल 0.5740 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–899/भूमि व्यवस्था–भूमि क्रय–06 दिनांक 28 जुलाई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय फीडर्स लायड कारपोरेशन लिमिटेड को ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेन्ट हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद–।। में कुल 0.5740 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

.......(2)